


कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No&01372252149

Email-dfokedarnath@gmail.com



पत्रांक:- 5073 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 10 / 04 / 2024

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
पोखरी।

विषय:- जनपद-चमोली के विधानसभा क्षेत्र के बद्दीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत थलगढ-डांडौ मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8235 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यक्षवर्तन।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 766 / 15सी0, दिनांक 28.03.2024।
महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयांकित परियोजना का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। उक्त क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा अपलोड किए गए प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्ताव में निम्न कमियाँ दृष्टिगत हो रही हैं, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित आपत्तियाँ निम्नानुसार हैं -

1. ऑनलाईन वनरोपण विवरण के बिन्दु संख्या 7.1.1 में आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र में अवनत वन भूमि का उल्लेख किया गया है, जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि सिविल वन भूमि है। सही किया जाना है।
2. ऑनलाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव में Additional information कॉलम के बिन्दु संख्या 1 में केवल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जारी हवाई दूरी प्रमाण पत्र ही संलग्न/अपलोड किया गया है। आई0टी0सैल देहरादून द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न किया जाए।
3. ऑनलाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव में Additional information कॉलम के बिन्दु संख्या 5 में आपके द्वारा रोड़ साईड प्लांटेशन के Undertaking Certificate का उल्लेख किया गया है, जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Undertaking Certificate अपलोड किया गया है। सही प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है।
4. ऑनलाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव में Additional information कॉलम के बिन्दु संख्या 7 में Treelist का उल्लेख किया गया है, जबकि पेड़ों की मूल्यसूची अपलोड की गयी है। अतः पेड़ों की सूची प्रभाग द्वारा मौके पर की गयी गणना सूची सहित पोर्टल पर अपलोड की जानी है।
5. ऑनलाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव में Additional information कॉलम के बिन्दु संख्या 9 में Road side Plantation के साथ-साथ मलवा निस्तारण का प्राक्कलन भी अपलोड किया गया है। उल्लेखित मद अनुसार ही प्राक्कलन को अलग-अलग अपलोड किया जाना है।
6. ऑनलाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव में Additional information कॉलम के बिन्दु संख्या 13 में अपलोड की गयी NPV calculation sheet के स्थान पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2011-एफ0सी0, दिनांक 06 जनवरी 2022 द्वारा NPV हेतु जारी नयी दरों के अनुसार calculation sheet (संलग्न) अपलोड की जानी है।
7. ऑनलाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव में Additional information कॉलम के बिन्दु संख्या 09- Road Side plantation, बिन्दु संख्या 17- Muck disposal scheme, एवं बिन्दु संख्या 20- CA Scheme के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रभाग की विभागीय दरों में परिवर्तन होने के कारण पूर्व में प्रेषित उपरोक्त तीनों प्राक्कलनों के स्थान पर नये प्राक्कलनों को अपलोड किया जाना है। अतः वन क्षेत्राधिकारी, नागनाथ रेंज, नागनाथ से समन्वय स्थापित कर उनके कार्यालय से संशोधित प्राक्कलन प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अभियन्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।